

हमीरगढ़
 (विकास पंचायती)
 आधिकारिक मुहर



प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम औखाला पटवार हल्का औखाला मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसको खाते का कृषि भूमि की खाता संख्या 247 की आ.न. 1834/2 रकबा 0.6323 है 0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगाड़ी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शर्तों 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कम्पेन्स फीस 500/- रु० की फीस भी जमा कराये जावे।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.06.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अलिखित उपाध्याय 01 से लगायत 02 बावजूद विहित प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने का उपाध्याय उपाध्याय नही है। अतः न्यायाधीशों में एक तरफ का प्रस्ताव ही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अलिखित प्रार्थना की सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खतदारी कृषि भूमि की पत्थरगाड़ी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई आदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किया जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.06.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के स्वीकार किया जाकर पत्थरगाड़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।

हल्का औखाला मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ में उसको खाते का कृषि भूमि की खाता संख्या 247 की आ.न. 1834/2 रकबा 0.6323 है 0 भूमि स्थित है। बावजूद प्रार्थी के विपक्षीय पक्षीय विवाद उत्पन्न एवं विपक्षीय के मध्य प्रस्ताव आरजी के सीमा विन्द नही होने से आय दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिये प्रार्थी अपने खाते की खतदारी कृषि भूमि की पत्थरगाड़ी कराना चाहता है। आवेदन

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत इस कयालय में दिनांक 08.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औखाला पटवार

निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम 1956

अप्रार्थीगण

1. श्री संस अगम डेप्टी प्रोटेक्टर प्रोवि-ए/147 कृमद विहार भीलवाला जयि जयदेवर नन्दकिशोर पुत्र राधेश्याम जिनदल।
2. श्रीमति निधि पति नन्दकिशोर जिनदल नि. ए/147 कृमद विहार-1 भीलवाला तह. व जिना भीलवाला।
3. राजस्थान राज्य जयि तहसीलदार हमीरगढ़ जिना भीलवाला।

बनाम

प्रार्थी

1. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री राधेश्याम जिनदल नि. ए/147 कृमद विहार-1 भीलवाला तह. व जिना भीलवाला।

अनवा

प्रकरण संख्या 35/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़
 पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचायती (आ.ए.एस)